भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 30

(जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निधियों के आबंटन की प्रक्रिया

30. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मद के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की पहचान/निष्पादन, निधियों के आवंटन, स्वीकृति की प्रक्रिया और कारपोरेट से निधियां प्राप्त करने तथा कार्य के निष्पादन तक की संपूर्ण प्रक्रिया और नियमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त प्रक्रिया में स्थानीय संसद सदस्यों के प्रस्ताव/सुझाव किस स्तर पर प्राप्त होते हैं; और
(ग) उत्तर प्रदेश में विगत वित्त वर्ष के दौरान उपरोक्त मद के अंतर्गत जिला-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कारपोरेट सामाजिक दायित्व को अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है जिसमें व्यापक ढांचे का प्रावधान है जिसके भीतर पात्र कंपनियों से किए जाने वाले कार्यकलापों और उनके कार्यान्वयन सहित अपनी सीएसआर नीतियां तैयार करना अपेक्षित है। प्रत्येक पात्र कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना होता है जिसमें तीन या अधिक निदेशक होते हैं। समिति सीएसआर नीति तैयार करती है और उसकी सिफारिश करती है जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्र या विषय में कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को इंगित करती है। बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर ढाँचे के अंतर्गत सीएसआर निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3) और (4), कंपनी के बोर्ड को अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध मदों के लिए अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के आवंटन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देती है।

(ख): सीएसआर विधिक ढाँचे में स्थानीय एमपीएस के प्रस्ताव/सुझाव लेने का कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है। सीएसआर बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और सरकार कंपनियों को किसी विशेष कार्यकलाप अथवा भौगोलिक क्षेत्र में व्यय करने के लिए कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं करती है।

(ग): उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2022-23 के दौरान सीएसआर मद के तहत खर्च की गई जिलेवार कुल राशि अनुलग्नक में दी गई है।

*****

अनुलग्नक

22.07.2024 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-2023 के दौरान कुल सीएसआर व्यय का जिलेवार विवरण		
क्र.सं.	**जिलों के नाम**	**खर्च की गई राशि (रुपये करोड़ में)**
1.	गौतम बुद्ध नगर	226.40
2.	मथुरा	118.21
3.	वाराणसी	0.100.23
4.	हरदोई	91.75
5.	लखनऊ	70.96
6.	गाज़ियाबाद	42.64
7.	सोनभद्रा	41.64
8.	आगरा	30.79
9.	अयोध्या	19.52
10.	गोरखपुर	17.75
11.	मेरठ	12.90
12.	सुल्तानपुर	12.62
13.	बुलंदशहर	10.53
14.	प्रयागराज	9.96
15.	राय बरेली	8.46
16.	बहराइच	7.92
17.	मुजफ्फरनगर	7.15
18.	मुरादाबाद	6.94
19.	बाराबंकी	6.78
20.	मिर्जापुर	6.68
21.	चंदौली	6.38
22.	अलीगढ़	6.31
23.	ललितपुर	6.14
24.	बरेली	5.96
25.	बागपत	5.85
26.	शाहजहाँपुर	5.32
27.	कुशीनगर	4.74
28.	झांसी	4.59
29.	औरैया	4.57
30.	चित्रकूट	4.50
31.	सहारनपुर	4.24
32.	कानपुर देहात	4.02
33.	अम्बेडकर नगर	4.00
34.	सीतापुर	3.93
35.	श्रावस्ती	3.77
36.	रामपुर	2.98
37.	प्रतापगढ़	2.73

जारी.....2/

38.	उन्नाव	2.56
39.	कौशाम्बी	2.32
40.	फिरोजाबाद	2.28
41.	फतेहपुर	2.22
42.	बस्ती	2.11
43.	हाथरस	2.03
44.	जौनपुर	1.72
45.	खीरी	1.61
46.	हमीरपुर	1.50
47.	बिजनौर	1.46
48.	अमरोहा	1.41
49.	देवरिया	1.28
50.	गाजीपुर	1.25
51.	बलरामपुर	1.20
52.	मैनपुरी	1.06
53.	बलिया	1.02
54.	भदोही	1.01
55.	पीलीभीत	1.00
56.	कानपुर नगर	1.00
57.	बांदा	0.90
58.	इटावा	0.71
59.	आजमगढ़	0.59
60.	बदायूं	0.57
61.	कन्नौज	0.56
62.	उत्तर काशी	0.50
63.	सिद्धार्थनगर	0.40
64.	संत कबीर नगर	0.32
65.	मऊ	0.25
66.	फर्रुखाबाद	0.23
67.	महराजगंज	0.16
68.	महोबा	0.08
69.	एटा	0.08
70.	जालौन	0.03
71.	गोंडा	0.03
72.	शामली	0.03
73.	*एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया	187.24
74.	**कुल**	**1,152.57**

(31.03.2024 तक का डेटा) [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

* कंपनियों ने या तो जिले का नाम निर्दिष्ट नहीं किया या एक से अधिक जिलों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****